संक्षिप्त

नववर्ष स्नेह मिलन समारोह आयोजित

कोटपूतली। प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा नववर्ष स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि कांग्रेस नेता जगदीश मीणा ने कहा कि नववर्ष हमारे जीवन में खुशियां लेकर आता है। हमें इस अवसर पर नया कुछ करने का संकल्प लेना चाहिये। सेवा केंद्र प्रभारी बीके लक्ष्मी बहन ने कहा कि नववर्ष पर हमें अपनी एक बुरी आदत को छोडकर एक अच्छाई ग्रहण करने का संकल्प लेना चाहिये। उन्होंने कहा कि राजयोग मेडिटेशन के द्वारा हम अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकते हैं। इस अवसर पर नन्हीं मुनि बालिकाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये। इस मौके पर अतिथियों का स्वागत किया गया। समाजसेवी एड. अशोक बंसल, अमरनाथ बंसल, बंशीधर गुर्जर, पूरणमल सैनी आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किये। इस दौरान संस्था से जुड़े सैकड़ों भाई बहन मौजूद रहे।

7 दिवसीय विशेष शिविर शुरु

निवाई । राजकीय महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के सात दिवसीय विशेष शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि राष्ट्रीय सेवा योजनाए विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर के समन्वयक डॉ. सुधीर वर्मा व विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय सेवा योजना जिला टोंक के समन्वयक डॉ. सीएल मीना व कार्यक्रम के अध्यक्ष प्राचार्य डॉ. दीपकराज जैन ने मां शारदे के चित्र समक्ष दीप प्रज्जवलन करके किया। प्राचार्य डॉ. जैन ने अतिथियों का माल्यार्पण व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया। मुख्य अतिथि डॉ. सुधीर वर्मा ने स्वयं सेवकों को बताया कि विशेष शिविर का उद्देश्य स्वयं सेवकों में सामाजिक सेवा की भावना को बढ़ाना एवं उनके व्यक्तित्व का विकास करना है। इससे छात्रों में सामूहिक कार्य करने की भावना के विकास के साथ साथ ही चारित्रिक, सामाजिक व नैतिक मूल्यों का विकास भी होता है। विशिष्ट अतिथि डॉ. मीना ने छात्रों को राष्ट्रीय सेवा योजना के इतिहास, उद्देश्य व सात दिवसीय शिविर में किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा के बारे में विस्तार से बताया। प्राचार्य डॉ. जैन ने नई शिक्षा नीति में राष्ट्रीय सेवा योजना को मूल्य वर्धित पाठ्यक्रम के रूप में जोडने के उद्देश्यों व सेमेस्टर प्रणाली में मूल्यांकन पद्धित पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम अधिकारी सुमन ने बताया कि विशेष शिविर का आयोजन 2 से 8 जनवरी तक किया जाएगा। राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई ने ढाणी जुगलपुरा को गोद लिया है। सात दिवसीय शिविर का आयोजन ढाणी में ही आयोजित किया जाएगा। उन्होंने छात्रों को अनुशासन में रहकर उद्देश्य व निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यक्रमों को सफल बनाने का आ ान किया। बौद्धिक सत्र में निवाई पुलिस थाने से आये जीतपाल मीना, सांवरमल चौधरी व मीठा लाल ने साईबर सुरक्षा व यातायात नियमों की जानकारी दी। कार्यक्रम अधिकारी सुमन ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

कीचड़ से ट्रॉली को क्रेन से निकाला

निवाई । निवाई से रजवास होकर डिग्गी जाने वाले सडक़ मार्ग पर गुढ़ा आनन्दपुरा तिराहे पर गुरुवार को एक ट्रैक्टर-ट्रॉली कीचड में फंस गई जिससे सडक़ मार्ग पर आने-जाने वाले राहगीरों को निकलने के लिए काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। कीचड़ में फंसे ट्रैक्टर ट्रॉली को क्रेन की सहायता से निकाला गया। इसके बाद सडक़ मार्ग पर यातायात बहाल हो सका। सीताराम चौधरी ने बताया कि निवाई से पीपलू डिग्गी मार्ग पर ठेकेदार द्वारा रोड की खुदाई करके करीब डेढ़ महीने से छोड़ दिया है। जिससे मोटरसाइकिल सवारों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रोड पर जगह जगह पत्थर निकल चुके हैं। ग्रामीणों ने बताया कि वाहनों का रोड पर हो रहे कीचड के कारण चलना मुश्किल हो गया है। क्योंकि चौपहिया वाहन बड़ी तेजी से निकलते हैं जिससे कीचड उछलने से लोगों का संतुलन बिगड़ जाता है। जिससे आए दिन लोग कीचड में गिरकर चोटिल हो रहे हैं।

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

कलेक्टर ने अस्पताल, पुलिस थाना, उपखंड कार्यालय में लोगों की समस्याएं जानी

अलवर। जिला कलेक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने थानागाजी क्षेत्र का दौरा कर उपखण्ड कार्यालय का निरीक्षण व जनसुनवाई की तथा पुलिस थाना, सीएचसी, सरकारी स्कूल में आईसीटी लैब एवं इंदौक में पीएम कुसुम योजना का फील्ड निरीक्षण सहित सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण कर उपखण्ड अधिकारी एवं संबंधित अधिकारियों को सरकारी कार्यालयों में सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप में संचालित रखने, आमजन की परिवेदनाओं का त्वरित निराकरण करने एवं पात्र लोगों को केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं से लाभांवित कराने के निर्देश दिये।

जिला कलेक्टर डॉ अर्तिका शुक्ला ने थानागाजी अस्पताल निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को निर्देशित दिये।

जिला कलेक्टर डॉ अर्तिका शुक्ला ने थानागाजी के उपखण्ड कार्यालय, तहसील कार्यालय, पंचायत समिति, उपकोष कार्यालय का निरीक्षण कर निर्देश दिये कि त्रि-स्तरीय जनसुनवाई व्यवस्था के तहत उपखण्ड स्तर पर आयोजित जनसुनवाई एवं सम्पर्क पोर्टल पर आने वाली आमजन की परिवेदनाओं का गुणवत्ता के साथ समयबद्ध रूप में निस्तारण करें। उन्होंने निर्देश दिये कि रजिस्टर, पत्रावलियां आदि का नियमित रूप से संधारण करे। कार्यालय में ई-वर्क को अपनाते हुए ई-पेपर का यूज करें।

जिला कलेक्टर ने उपखण्ड अधिकारी और नगर पालिका के अधिशाषी अधिकारी को निर्देश दिये कि थानागाजी कस्बे में थैंक्यू बोर्ड के पास स्थित नारायणपुर चौराहे का 26 जनवरी तक सौंदर्य करण का कार्य कराने के लिए निर्देशित किया। इस दौरान उपखण्ड कार्यालय में आमजन की विद्युत, पेयजल, सडक आदि की परिवेदनाओं को सुनकर उपखण्ड अधिकारी व तहसीलदार को निर्देशित किया कि फरियादियों की परिवेदनाओं का त्वरित निराकरण कर उन्हें सूचित करें। ग्राम भागडोली के ग्रामीणों की ट्रांसफार्मर के खराब होने से पेयजल संकट उत्पन्न होने की शिकायत पर जिला कलक्टर ने विद्युत विभाग के अधिशाषी अभियन्ता को निर्देश दिये कि आज ही नया ट्रांसफार्मर रखवाए।

उन्होंने थानागाजी सीएचसी का निरीक्षण कर ओपीडी, भर्ती वार्ड, दवा वितरण केंद्र का अवलोकन किया। उन्होंने मरीजों से बातचीत कर चिकित्सालय की सुविधाओं का फीडबैक लिया। उन्होंने उपखण्ड अधिकारी व बीसीएमओ को निर्देश दिये कि आरएमआरएस फण्ड से सीएचसी भवन के जीर्णोद्धार का प्रस्ताव तैयार कर मरम्मत कार्य करावे। शौचालय व चिकित्सालय परिसर की नियमित साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देवे जिससे चिकित्सालय में आने वाले मरीजों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो।

जयपुर जिला ग्रामीण समाप्त करने पर सी.एम. का आभार

सांभरझील, (निसं)। जिला कमेटी के पदाधिकारियों व प्रदेश के आला अफसरों की ओर से तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सरकार को सौंपी गई सर्च रिपोर्ट व अभिशंषा के बाद प्रदेश के मुखिया भजनलाल की ओर से जिला जयपुर ग्रामीण को समाप्त कर पूर्व की भांति उन तमाम उपखंड और तहसीलों को जिला जयपुर (राजधानी) में ही रखने के आदेश पर सांभर बार एसोसिएशन के समस्त पदाधिकारियों, सदस्यों एवं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े सभी संगठनों की तरफ से गहरी प्रमन्नता व्यक्त करते हुए इसे क्षेत्र के लिए हितकारी व लाभकारी बताया है। सरकार के इस फैसले पर प्रदेश के मुखिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए उनसे मां देवयानी मैया के दर्शन करने का अनुरोध भी किया है। बार एसोसिएशन का कहना है कि पूर्ववर्ती सरकार ने जो फैसला लिया था उसने क्षेत्र के लोगों का गला घोंटने का काम कर लाखों लोगों की भावनाओं को कुचलने का काम किया था। इतने लंबे समय तक यहां के लोगों ने मानसिक वेदना के साथ शारीरिक कष्ट, आर्थिक बोझ के संकट का भी सामना किया। मां देवयानी मैया ने क्षेत्र के लोगों की पुकार सुन ली और इस फैसले से क्षेत्र के लोगों का सरकार के प्रति विश्वास जागृत हुआ है।

मासूम चेतना को दी श्रद्धांजलि

मनोहरपुर। कोटपूतली बोरिंग में निकाली गई मृतक मासूम चेतना को वीर हंसराज तिराहे पर श्रद्धांजलि दी गई।इस दौरान सभी ने दो मिनट का मौन रखा और श्रद्धा सुमन अर्पित किया।इस दौरान उपस्थित लोगों ने दु:ख प्रकट करते हुए कहा कि सरकार को ऐसे हादसों के लिए स्थाई समाधान निकालना चाहिए।मासूम बच्चों के साथ आये दिन घटनाएं होती रहती है जिससे आमजन हतोत्साहित होता है। वही लोगो ने प्रशासन से मांग की कि क्षेत्र में सभी खुले पड़े बोरिंगों को ढका जाए तथा पास ही में सो फिट गहरे कुएं जो कि सरकारी होस्टल के पीछे खुला कुआं है उसको भी ढका जाए जिससे भविष्य में कोई हादसा या अनहोनी से बचा जा सके।श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उपस्थित नाथूलाल सैनी ब्लाक अध्यक्ष, अर्जुन मोहनपुरिया पूर्व सरपंच,अल्लाउद्दीन खां,महेश जडवाल, खलील भिस्ती, श्रीराम जाट,रामकरण यादव, रफीक भिस्ती,मदन खजोतिया, रामेश्वर बुनकर महासचिव, कालू राम यादव, विक्रम सैनीव बाबुलाल बुनकर,कैलाश गुर्जर, रवि मीणा, बोदूराम

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य श्री राधेश्याम मीणा पुत्र श्री किशन लाल मीणा, निवासी सी-24, आशीष विहार, जगतपुरा, मालवीय नगर, जयपुर में निवास करता है। मेरे अभिभाष्य का पुत्र ऋषभ मीणा पुत्र राधेश्याम मीणा एवउसकी पत्नी श्रीमती शिफाली शर्मा तथा मेरे अभिभाष्य की पुत्री निशा मीणा पत्नी विकास पाठक, निवासी2919, द्वितीय फ्लोर, सेक्टर-49, फरीदाबाद, जो कि मेरे अभिभाष्य के कहने में नहीं है, ना ही मेरे अभिभाष्य की सेवा करते है, इसलिये मेरे अभिभाष्य उन्हें स्वयं द्वारा स्वअर्जित समस्त चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल कर समस्त रिश्ते समाप्त कर दिये है। मेरे अभिभाष्य के पुत्र, पुत्रवधु व पुत्री से जो कोई भी संव्यवहार करेगा स्वयं उत्तरदायी होगा।
जयपुर (ट्विंकल खत्री), एडवोकेट
दिनांक मो. 8875099611

प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को (नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)
मुकदमा नम्बर 426/2024
चूंकि श्री नवरतन कोठारी पुत्र श्री धिसीलाल कोठारी निवासी बी-1, पृथ्वीराज रोड़, सी-स्कीम, जयपुर 302001 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत **के.जी. के वैलफेयर ट्रस्ट** कार्यालय पता बी-1 एण्ड बी-2, पृथ्वीराज रोड़, सी-स्कीम, जयपुर 302001 ने राजस्थान के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है। अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नही की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा। दिनांक 27/12/24 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 05/03/25
मोहर
सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक:5221 **जाहिर आम-सूचना** दिनांक:13.12.2024
राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना में फ्लैट संख्या 28/ST/L/245 (FF) (LIG), (एरिया 23.509 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्रीमती अलका गर्ग पत्नी स्व. श्री अरूण कुमार गर्ग को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 7984 दिनांक 28.11.2019 को जारी किया गया। श्रीमती अलका गर्ग के पक्ष में उक्त फ्लैट के पंजीयन प्रपत्र दिनांक 07.08.2023 को उप पंजीयक-अष्टम, मानसरोवर, जयपुर के यहां पंजीकृत करवाये गये। श्रीमती अलका गर्ग द्वारा श्री इन्द्र कुमार भागानानी पुत्र श्री देवन दास को दिनांक 31.01.2024 को मुख्त्यारनामा आम धारक नियुक्त किया गया। श्री इन्द्र कुमार भागानानी द्वारा मुख्त्यारनामा आम की हैसियत से उक्त फ्लैट को दिनांक 12.03.2024 के द्वारा श्रीमती बीनु परेवा पुत्री श्री नानक चन्द परेवा पत्नी श्री कैलाश शर्मा को विक्रय कर उप पंजीयक -अष्टम, मानसरोवर, जयपुर के यहां विक्रय पत्र पंजीकृत करवाया गया। अतः उक्त फ्लैट के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नही है, श्रीमती बीनु परेवा पुत्री श्री नानक चन्द परेवा पत्नी श्री कैलाश शर्मा का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।
सम्पदा प्रबन्धक वृत्त-प्रथम, राज. आवा. मण्डल, जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 424/2024
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री हरीश कुमार शर्मा पुत्र श्री मनोहर लाल शर्मा निवासी 276, धोलाराडा तालाब राजगढ़ अलवर 301410 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत पुनरोदय फाउण्डेशन संस्थान कार्यालय पता डी-704, यू.डी.बी. ओर्चिड पिक पर्ल वाटर पार्क के पास, अजमेर रोड जयपुर ने राजस्थान के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 27.12.2024 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 04.03.2025
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर

सालग्यावास गांव में जानवर के हमले से महिला की मौत

टोंक। ग्राम पंचायत कंवरावास के सालग्यावास गांव में एक वृद्ध महिला पर अज्ञात जानवर ने हमला कर दिया, हमले में गम्भीर रूप से घायल होने पर महिला की मौत हो गई। सालग्यावास निवासी मोहनी गुर्जर पत्नी राजूलाल गुर्ज उम्र 70 साल जो गत रात्रि को अपने घर पर सोई हुई थी, अचानक रात को एक अज्ञात जानवर ने महिला पर हमला कर दिया, हमले में उसके एक हाथ को काटकर अलग कर दिया एवं पैरो पर भी खरोच के निशान छोडे हैं।

पुलिस ने महिला की मौत पर पंचनामा तैयार किया।

सुबह जब परिजन उठे तो महिला लहुलुहान होकर मरी मिली, मौके पर वन विभाग के कार्मिको को बुलाया गया तथा पुलिस भी पंहुची। पुलिस ने मृतका को राजकीय चिकित्सालय टोडारायसिंह की मौर्चरी में रखवाया और पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनो को सौप दिया। वन विभाग के वनरक्षक गिरीराज जाट ने जानवर के पदचिन्हो के अनुसार पैथर होने का अनुमान लगाया गया है।

सड़क सुरक्षा माह 31 तक

कोटपूतली। राष्ट्रीय सडक सुरक्षा माह 2025 का आयोजन 01 से 31 जनवरी तक किया जायेगा। वर्ष 2025 में राष्ट्रीय सडक सुरक्षा माह 2025 की थीम "परवाह" है। इस दौरान जिले में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जायेगी। इस संबंध में जिला कलक्टर कल्पना अग्रवाल द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। जिला कलक्टर के अनुसार राष्ट्रीय सडक सुरक्षा माह 2025 के दौरान समस्त हितधारक विभागों, विभिन्न संस्थाओं एवं आमजन की सहभागिता से सडक सुरक्षा संबंधी गतिविधियां व कार्यक्रम जारी हैं। 31 जनवरी तक जिले में राष्ट्रीय सडक सुरक्षा माह 2025 का आयोजन होगा। नियमित रूप से इन गतिविधियों की समीक्षा की जायेगी। जिला कलक्टर द्वारा राष्ट्रीय सडक सुरक्षा माह 2025 के तहत संबंधित विभागों को वाहन चालकों और आमजन को सडक सुरक्षा नियमों की जानकारी देने के साथ-साथ वाहन चलाते समय सडक सुरक्षा नियमों की पालना की जागरूकता सुनिश्चित करने के लिये निर्देशित किया गया है।

'परवाह' थीम का उद्देश्य : एडीएम ओमप्रकाश सहारण ने बताया कि इस अभियान की थीम 'परवाह' यानी एक-दूसरे की केयर करना है, चाहे पैदल चलने वाले हों या वाहन चालक, सभी को एक-दूसरे की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिये। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य ना केवल सडक को सुरक्षित बनाना है, बल्कि जीवन बचाना भी है। इस माह जागरूकता और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

विभिन्न गतिविधियां होगी आयोजित : अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जायेगा।

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-तृतीय
जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर, दूरभाष संख्या-0141-4901853
क्रमांक-5065 दिनांक-20.12.2024
आम जाहिर सूचना राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा कार्यालय आदेश क्रमांक 2087 दिनांक 17.10.1989 जारी आवास संख्या-3/249 मालवीय नगर जयपुर, क्षेत्रफल 200.70 वर्गमीटर का हस्तान्तरण श्रीमती विमला सक्सैना पत्नी स्व. श्री ओम प्रकाश सक्सैना के पक्ष किया गया था। श्रीमती विमला सक्सैना की मृत्यु दिनांक 23.04.2024 को जाने के कारण श्रीमती छाया सिन्हा पत्नी डा. श्री अशोक सिन्हा के द्वारा आवेदन पत्र के साथ क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं अपंजीकृत वसीयतनामा की छाया प्रति एवं अपंजीकृत वसीयत में अंकित गवाह का शपथ पत्र एवं उनके पहचान की स्व-सत्यापित छाया प्रति प्रस्तुत कर उक्त आवास का प्रतिस्थापन अपने नाम से करने का निवेदन किया गया है। अत उक्त आवास के प्रतिस्थापन के संबंध में किसी भी व्यक्ति/बैंक/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवे, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त आवेदनकर्ता श्रीमती छाया सिन्हा पत्नी डॉ. श्री अशोक सिन्हा के नाम से उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त तृतीय, रा.आ. मण्डल, जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 425/2024
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री शम्भू सिंह नाथावत पुत्र श्री मदन सिंह निवासी 98 ए, नार्थ सेवाराम नगर कनकपुरा रेलवे स्टेशन के पास, जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत श्री पंचदेव मंदिर सेवा समिति कार्यालय पता 98-ए, उत्तरी हिस्सा, सेवाराम नगर, कनकपुरा, जयपुर ने राजस्थान के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 27.12.2024 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 04.03.2025
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर

शिवालय से नागराज व दो पीतल की घंटी चोरी

पावटा। प्रागपुरा थाना क्षेत्र में इन दिनों चोरों की धमा चौकडी जारी है। क्षेत्र में आए दिन चोर गांव घर को ही निशाना बना रहे थे, लेकिन अब चोरों की नजर धार्मिक स्थलों पर भी पड़ी है।

प्रागपुरा थाना क्षेत्र के प्रागपुरा कस्बा स्थित रामलीला मैदान के पास चतुर्भुज मंदिर से चोरों ने शिव मंदिर से पीतल के नागराज व वजनी दो घंटा चोरी कर लिए। जानकारी होने के बाद श्रद्धालुओं में आक्रोश व्याप्त हो गया। जानकरी होने पर सुबह श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर परिसर के बाहर एकत्र हो गई।

सुबह जब पुजारी सत्यनारायण व श्रद्धालु पूजा-अर्चना करने गए तो यह देख लोगों ने मोहल्ले के लोगों सहित जनप्रतिनिधियों को बताया। मोहल्ले के लोग व अन्य श्रद्धालु एकत्रित हो गए और घटना को लेकर आक्रोश जताया। वही पुजारी ने बताया कि इससे पहले भी 24 दिसंबर को चोर मंदिर से दो पीतल की घंटियां चुराकर ले गए थे

श्रीराम भवन से निकलने वाली प्रभात फेरी को 100 दिन पुरे

कोटपूतली। श्री श्याम परिवार कोटपूतली द्वारा विगत 20 माह से संतोषी माता मंदिर से प्रतिदिन प्रभात फेरी निकाली जा रही थी। कार्यकर्ताओं ने प्रभात फेरी के विस्तार का निर्णय लिया और 25 सितंबर 2024 को श्रीराम भवन से दुसरी प्रभात फेरी प्रारंभ की गई। श्रीराम भवन से निकलने वाली प्रभात फेरी ने 02 जनवरी गुरूवार को 100 दिन पुरे किये।

- **सामूहिक प्रभात फेरी निकाली, जगह-जगह हुआ स्वागत**

इस अवसर पर तीनों प्रभात फेरी के सदस्य श्रीराम भवन में एकत्रित हुये और सामूहिक रूप से प्रभात फेरी निकाली। कडकड़ाती ठंड में लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। माता बहनों द्वारा लाये गये 26 लड्डू गोपालों की झांकी विशेष आकर्षण का केन्द्र रही।

कोटपूतली का श्री श्याम परिवार गत 20 माह से प्रभात फेरी निकाल रहा है।

रास्ते में जगह-जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर फेरी का स्वागत किया एवं झांकी की आरती उतारी। इस दौरान श्री श्याम परिवार के राजेश सवाईका, शंकर बंसल, सुमन सैनी, पत्रकार आनंद पण्डित, मुकेश शर्मा, विक्रम रावत, दीपक बंसल, चंद्रप्रकाश बीदाणी, महेश यादव, मनीष यादव, नरेश कुमावत, राजेश गुप्ता समेत कुल 305 श्रद्धालू मौजूद रहे।

ए.एस.पी. बृजेंद्रसिंह भाटी को सौंपा ज्ञापन

निवाई । श्रीदामोदर गौशाला समिति द्वारा एएसपी बृजेंद्रसिंह भाटी को ज्ञापन सौंपा। समिति के अध्यक्ष शिवरतन दरगड ने बताया कि श्री दामोदर गौशाला की चोरपुरा में आवंटित भूमि स्थित है। श्री दामोदर गौशाला की करीब 50 बीघा कृषि भूमि गोवंश के लिए चारा उत्पादन हेतु आवंटित है। जिसमें गो सेवा हेतु चारा उत्पादन किया जाता है। गौशाला के कार्यालय एवं चौकीदार रूम व कार्यालय पर एक महिला ने ताला लगा दिया और चाबी खुद के पास रख ली। जब समिति के सदस्यों द्वारा कार्यालय की चाबी मांगी तो उसने एक-दो दिन के बाद चाबी लौटाने का झूठा आश्वासन दिया। महिला ने अभी तक चाबी नहीं लौटाई। महिला खुद के माता-पिता को भी कार्यालय पर रखने लगी है।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in
क्रमांक:-जविप्रा/उपा./जोन-7/2024/डी-2259 दि. 31.12.2024
प्रस्तावित भू-उपयोग उपान्तरण
आवेदिका श्रीमती मनीषा मंत्री पत्नि श्री हेमन्त कुमार मंत्री द्वारा नवजीवन गृ.नि.स.स.लि. की योजना विद्युत नगर-ए के भूखण्ड संख्या 286 क्षेत्रफल 180.55 वर्ग गज का आवासीय से मिश्रित प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने हेतु आवेदन किया गया है। योजना विद्युत नगर-ए के भूखण्ड संख्या 286 क्षेत्रफल 180.55 वर्ग गज का लीजहोल्ड पटटाविलेख दिनांक 05.02.2001 को श्रीमती किरण लढ्ढा पत्नि श्री ओम प्रकाश लढ्ढा के पक्ष में जारी किया गया था एवं नाम हस्तांतरण पत्र जोन के पत्र क्रमांक जविप्रा/उपा./जोन-7/2024/डी-1699 दिनांक 27.06.2024 के द्वारा आवेदिका के पक्ष में जारी किया गया है। नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम-2010 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 24.02.2021 राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम-2021 के बिन्दू संख्या 2 के उपबिन्दु-iv के क्रम में भू उपयोग परिवर्तन आवासीय से मास्टर प्लान/ जोनल प्लान में दर्शित मिश्रित/ व्यावसायिक भू-उपयोग प्रयोजनार्थ किया जाना प्रस्तावित है। उक्त भूखण्ड के साईट प्लान अनुसार पूर्व दिशा की ओर 100 फीट सड़क, पश्चिम दिशा की ओर-भूखण्ड संख्या 287, उत्तर दिशा की ओर-भूखण्ड संख्या-285, दक्षिणी दिशा की ओर भूखण्ड संख्या 300 स्थित है। किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उपरोक्त भू उपयोग परिवर्तन के संबंध में कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इस आम सूचना प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नम्बर पीबी-एसएफ-218डी, में दर्ज करायें। उक्त कालावधि में आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जाएगी। सूचित रहे। यह विज्ञप्ति आज दिनांक 31.12.2024 को जारी की गई।
उपायुक्त जोन-7, जविप्रा, जयपुर

कार्यालय नगर परिषद, दौसा (राजस्थान)
क्रमांक-6074 प्ररूप-10 (नियम 6(7) देखिए) दिनांक-02.01.2025
(प्राधिकृत अधिकारी) नगर परिषद दौसा
लोक सूचना
पारूल गोयल पत्नि श्री सुनील कुमार हिस्सा-पूर्ण जाति महाजन निवासी बी-28 रूप विहार, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर राजस्थान ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर-कृषिक शैक्षणिक प्रयोजनार्थ के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात

क्र.सं.	जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्र
1	दौसा	दौसा खुर्द	161/1	1.06 है.

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षर के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।
उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।
यह सूच